



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2379

दिनांक 24/9/2023

सार्वजनिक नोटिस

Vr/187
25/9/23

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू के ख.नं. 6885/3316 रकबा 0.33 हैक्ट., ख.नं. 2710/6676 रकबा 0.05 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.38 हैक्ट. अर्थात् 3800.00 व.मी. भूमि के खातेदार श्री कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2378

दिनांक 24/9/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू के ख.नं. 3053 रकबा 0.24 हैक्ट., ख.नं. 3053/6328 रकबा 0.23 हैक्ट., ख.नं. 6856/3054 रकबा 0.32 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 0.79 हैक्ट. में हिस्सा 1/4 रकबा 0.1975 हैक्ट. अर्थात् 1975.00 व.मी. भूमि के खातेदार श्री कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।



सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।



उपायुक्ता, जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-10
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102914

दिनांक: 24/09/2023

लोक सूचना

श्री JAGDISH NARAYAN MEENA पुत्र श्री SITA RAM MEENA जाति MEENA निवासी NEEMRAJ KA BAG, GOVINDPURA URF ROPADA, GONER ROAD, DANTLI, JAIPUR-303012

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खोरी, सांगानेर (जयपुर)	JAGDISH NARAYAN MEENA	55	1800	0.18
2.	खोरी, सांगानेर (जयपुर)	JAGDISH NARAYAN MEENA	56	1600	0.16
3.	खोरी, सांगानेर (जयपुर)	JAGDISH NARAYAN MEENA	57	1800	0.18
कुल					0.52

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-09-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-10
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Digitally Signed by Megh Raj Singh
Meena
Designation : DC/ AO
Date: 2023.09.24 14:32:06 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2377

दिनांक 23/09/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम लाखना तहसील सांगानेर के ख.नं. 397 रकबा 0.25 हैक्ट. में से 0.1205 हैक्ट., ख.नं. 396 रकबा 0.40 हैक्ट. में से 0.1620 हैक्ट. कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.65 हैक्ट. में से 0.2825 हैक्ट. अर्थात् 2825.00 व.मी. भूमि के खातेदार मैसर्स गोविन्द कृपा इन्फ्रा वेन्चर्स जरिये साझेदार श्री राजू चौपडा पुत्र श्री रामलाल चौपडा द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त
उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-10
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102914

दिनांक: 24/09/2023

लोक सूचना

श्री JAGDISH NARAYAN MEENA पुत्र श्री SITA RAM MEENA जाति MEENA निवासी NEEMRAJ KA BAG, GOVINDPURA URF ROPADA, GONER ROAD, DANTLI, JAIPUR-303012

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	खोरी, सांगानेर (जयपुर)	JAGDISH NARAYAN MEENA	55	1800	0.18
2.	खोरी, सांगानेर (जयपुर)	JAGDISH NARAYAN MEENA	56	1600	0.16
3.	खोरी, सांगानेर (जयपुर)	JAGDISH NARAYAN MEENA	57	1800	0.18
कुल					0.52

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-09-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-10
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Digitally Signed by Megh Raj Singh
Meena
Designation : DC/AG
Date: 2023.09.24 14:32:06 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102891

दिनांक: 24/09/2023

लोक सूचना

श्रीमती कान्ता देवी शर्मा पत्नी श्री शंकर लाल जाति हरि. ब्रा. निवासी- 121, कृष्णा नगर, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मानपुर टीलावाला, सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी डॉ. केदार मल शर्मा निवासी- 80/82, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।	199	12800	1.28
कुल					1.28

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **24-09-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102917

दिनांक: 24/09/2023

लोक सूचना

श्रीमती कान्ता देवी शर्मा पत्नी श्री शंकर लाल जाति हरि. ब्रा. निवासी- 121, कृष्णा नगर, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला, सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती कान्ता देवी शर्मा पत्नी श्री शंकर लाल जाति हरि. ब्रा. निवासी- 121, कृष्णा नगर, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।	897	5000	0.50
कुल					0.50

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **24-09-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : 1.U2012/JDA/2023-24/102882

दिनांक : 24/09/2023

संशोधित लोक सूचना

- रिमार्क केमिकल्स एलएलपी (पंजीकृत कार्यालय दुर्गा मोटर कम्पनी 167, जीपीओ के सामने, एमआई रोड, जयपुर राजस्थान) जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री श्रीप्रिया गुप्ता पुत्र श्री अमन गुप्ता निवासी 15, याणक्यपुरी तीज दूरिस्ट बंग्लोव के पीछे, बनीपार्क, जयपुर।
- श्री राजू पुत्र श्री बिरधीचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम हसमपुरा, भांकरोटा, जयपुर
- श्री रामस्वरूप पुत्र श्री बिरधीचन्द निवासी ग्राम हसमपुरा, भांकरोटा, जयपुर
- श्री लल्लूप्रसाद पुत्र श्री बिरधीचन्द निवासी ग्राम हसमपुरा, भांकरोटा, जयपुर
- श्री बुद्धीप्रकाश पुत्र श्री धन्ना लाल निवासी सिरसी रोड, भोज्यावास भांकरोटा, जयपुर।
- श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभुलाल निवासी 35, गायत्री नगर, सोडाला, जयपुर
- श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभुलाल निवासी 35, गायत्री नगर, सोडाला, जयपुर
- श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री धन्नालाल निवासी एस.डी. 77, शान्ति नगर, बिहार्ड ई.एस.आई. हॉस्पिटल, जयपुर राज. जरिये मुआम श्री बुद्धीप्रकाश पुत्र श्री धन्नालाल निवासी सिरसी रोड, भोज्यावास, भांकरोटा, जयपुर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है था जिसमें दिनांक 08.09.2023 को लोक सूचना प्रकाशन में खसरा नम्बर 374, 733/375 व 735/376 सहव से अंकित हो गये थे। अतः अंकित सारणी अनुसार अंकित खसरा नम्बर पढ़े जावें :-

क. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.) में
1	ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास तहसील सांगानेर	1. कमलेश कुमार शर्मा पुत्र प्रभुलाल हिस्सा- 1/24 जाति- खाती सा. देह । खातेदार 2. बुद्धिप्रकाश पुत्र धन्नालाल हिस्सा- 1/12 जाति- खाती सा. देह खातेदार 3. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र प्रभुलाल हिस्सा- 1/24 जाति- खाती सा. देह । खातेदार 4. मैसर्स रिमार्क केमिकल्स एल एल पी हिस्सा- 1/2 जाति- (NA) पंजीकृत कार्यालय दुर्गा मोटर कंपनी 167 जी पी ओ के सामने एम आई रोड जयपुर खातेदार 5. राजू पुत्र बिरधीचन्द हिस्सा- 1/12 जाति- मीणा सा. देह खातेदार . 6. रामस्वरूप पुत्र बिरधीचन्द हिस्सा- 1/12 जाति- मीणा सा. देह खातेदार 7. लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्नालाल हिस्सा- 1/12 जाति- खाती सा. देह खातेदार 8. लल्लूप्रसाद पुत्र बिरधीचन्द हिस्सा- 1/12 जाति- मीणा सा. देह खातेदार.	374 734/375 736/376 कुल किता 3	0.0700 1.1950 0.1700 1.4350

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-09-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष 191 141 2574798 : ईपीबीएक्स 191 141 2569696 एक्स.टे.: 8340 : फैक्स 191 141 2574555

e-mail:



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2381

दिनांक 24/09/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के ख.नं. 6194 रकबा 0.11 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 6195 रकबा 0.11 हैक्ट. में से 0.0724 हैक्ट., ख.नं. 6197 रकबा 1.07 हैक्ट. में से 1.0345 हैक्ट., ख.नं. 6198 रकबा 0.22 हैक्ट. में से 0.0370 हैक्ट., ख.नं. 6202 रकबा 0.35 हैक्ट. में से 0.2115 हैक्ट., ख.नं. 6214 रकबा 0.23 हैक्ट. में से 0.1738 हैक्ट., ख.नं. 6215 रकबा 0.20 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 6216 रकबा 0.18 हैक्ट. में से 0.1638 हैक्ट. कुल कित्ता 8 कुल रकबा 2.4700 हैक्ट. में से 2.0030 हैक्ट. अर्थात् 20030.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार श्री भंवरलाल पुत्र लाला जाति बैरवा निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक: 24/09/2023

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102928

लोक सूचना

श्री RIDHI TOWNSHIP PVT. LTD THROUGH DIRECTOR BUDHI PRAKASH SHARMA पुत्र श्री HARSH NARAIN SHARMA जाति SHARMA निवासी 20-21, BAJAJ NAGAR JAIPUR RAJASTHAN-302015 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हिक्टे)
1.	गोधनपुरा, चाकसू (जयपुर)	मैसर्स रिधि टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	97/2	4300	0.43
2.	गोधनपुरा, चाकसू (जयपुर)	मैसर्स रिधि टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	98	800	0.08
कुल					0.51

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24.09.2023 को जारी की गयी।

—sd—
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपी

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

उपायुक्त
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम गोरधनपुरा, तहसील चाकसू के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न — 1


उपायुक्त -14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जोन-14, ज.वि.प्रा., जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी- 2383

दिनांक:— 25/09/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102928

दिनांक: 25/09/2023

लोक सूचना


श्री RIDHI TOWNSHIP PVT. LTD THROUGH DIRECTOR BUDHI PRAKASH SHARMA पुत्र श्री HARSH NARAIN SHARMA जाति SHARMA निवासी 20-21, BAJAJ NAGAR JAIPUR RAJASTHAN-302015 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	गोरधनपुरा, चाकसू (जयपुर)	M/S RIDHI TOWNSHIP PVT. LTD. THROUGH DIRECTOR BUDHI PRAKASH SHARMA	97/1	4300	0.43
2.	गोरधनपुरा, चाकसू (जयपुर)	M/S RIDHI TOWNSHIP PVT. LTD. THROUGH DIRECTOR BUDHI PRAKASH SHARMA	98	800	0.08
कुल					0.51

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-09-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर